

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा (राज.)
प्रशासन गावों के संग 2021 अभियान शिविर मुकाम बडला तहसील फुलियाकलां

:: मूल वाद मे अन्तिम डिक्री ::
[आदेश 20 नियम 6, 7 जा0दी0]

पीठासीन अधिकारी – श्री राजकेश मीना
(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 03/2016

उनवान

1 सुवा पिता तेजा रेगर उग्र-वयरक निवासी बडला तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा

----- वादी

बनाम

- 1 रामपाल पिता उगमा रेगर उग्र-वयरक निवासी बडला तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा
- 2 जगदीश पिता उगमा रेगर उग्र-वयरक निवासी बडला तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा
- 3 सोकरण पिता उगमा रेगर उग्र-वयरक निवासी बडला तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा
- 4 मु.घीसी पुत्री उगमा रेगर उग्र-वयरक निवासी बडला तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा
- 5 मु.केसर बैवा उगमा रेगर उग्र-वयरक निवासी बडला तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा
- 6 शाखा प्रबन्धक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा कादेडा तहसील केकडी जिला अजमेर
- 7 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा (राज.)

----- प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :- वादी स्वयं
राज्य पक्ष तहसीलदार फुलियाकलां

अनुपस्थित- प्रतिवादीगण 01 से 06

दिनांक- 04.10.2021

वाद-पत्र बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी संख्या 01 से 05 इस प्रकार स्वीकार किया जाता है कि-वाके ग्राम बडला प.ह.क्षे. बडला तहसील फुलियाकलां स्थित आराजी संख्या 1228 रकबा 0.59 हैक्ट. भूमि के राजस्व अभिलेखों से प्रतिवादी संख्या 01 से 05 का नाम विलोपित कर, के स्थान पर वादी का एकल हक स्वामित्व निर्धारित कर, खातेदार काश्तकार घोषित करते हुए, तदनुसार राजस्व रेकार्ड में अंकन कर, दुरुस्तिकरण किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाकर इस आशय की अन्तिम डिक्री पारित की जाती है। तहसीलदार फुलियाकलां तदनुसार राजस्व अभिलेखों में अमल दरामद करें। खर्चा फरिकेन अपना-अपना वहन करे।

आज यह डिक्री दिनांक 04.10.2021 को प्रशासन गावों के संग 2021 अभियान शिविर मुकाम बडला में मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी गयी।

(राजकेश मीना)

उपखण्ड-अधिकारी, फुलियाकला
उपखण्ड अधिकारी
फुलियाकला, जिला-भीलवाड़ा

